श्री सच्चिदानन्द राय, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–आई0आर0–16 से अद्भूत आश्वासन सं0–04/182 का अद्यतन प्रतिवेदन

प्रश्न	आश्वासन	अद्यतन प्रतिवेदन
(क) क्या यह बात सही है कि छपरा जिलान्तर्गत मांझी प्रखण्ड के डुमाईगढ़ से गैरतपुर गांव तक घाघरा नदी से प्रति वर्ष बाढ़ कटाव व पानी का दवाब बना रहता है,	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि छपरा जिला अन्तर्गत मांझी प्रखण्ड के डुगाईगढ़ से गैरतपुर ग्रामों के सुरक्षा हेतु घाघरा नदी के बॉये किनारे 7 नं0 गोगरा तटबंध निर्मित है एवं बाढ़ के समय घाघरा नदी का दबाव तटबंध पर रहता है।	वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला अन्तर्गत मांझी प्रखण्ड के प्रश्नगत डुमाईगढ़ से गैरतपुर ग्रामों के सुरक्षा हेतु बाढ़ वर्ष 2016 के पूर्व डुमाईगढ़ एवं गैरतपुर के बीच 7 नं० गोगरा तटबंध के कि०मी० 78.800 से कि०मी० 78.860, कि०मी० 77.760 से कि०मी० 77.780 तथा कि0मी0 79.420 से कि०मी० 79.680 के बीच एजेण्डा सं0– 133/217 के तहत् कटाव निरोधक कार्य ससमय (दिनांक–15.05.2016 तक) पूर्ण कराकर कर स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। वर्तमान में भी प्रश्नगत सभी स्थल सुरक्षित है। अतः आश्वासन को निष्पादित किया जा सकता है।
(ख) क्या यह बात सही है कि उक्त नदी के कटाव के कारण कई परिवारों को विस्थापित होना पड़ता है,	अस्वीकारात्मक। अभी तक नदी के कटाव के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हुआ है क्योंकि सभी ग्राम तटबंध के कन्ट्रीसाइड में है।	
(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त नदी के कटाव के रोकथाम की दिशा में कटाव निरोधक कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	छपरा जिला अन्तर्गत मांझी प्रखण्ड के डुमाईगढ़ से गैरतपुर गाँव घाघरा नदी के बॉये किनारे निर्मित 7 नं0 गोगरा तटबंध के कि0मी0 77.700 से कि0मी0 80.500 के बीच कन्ट्रीसाईड में अवस्थित है। घाघरा नदी से तटबंध पर दबाव के कारण तटबंध के बचाव हेतु कटाव होने पर बाढ़ संघर्षात्मक/कटाव निरोधक कार्य कराकर कटाव को नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान में (बाढ़ वर्ष 2016 पूर्व) डुमाईगढ़ एवं गैरतपुर के बीच 7 नं0 गोगरा तटबंध के 78.800 कि0मी0 से 78.860 कि0मी0, 77.760 कि0मी0 से 77.780 कि0मी0 तथा 79.420 कि0मी0 से 79.680 कि0मी0 के बीच एजेण्डा संख्या–133/217 के तहत् जियो बैग एवं पी0पी0 रोप गेबियन का उपयोग कर कटाव निरोधक कार्य कराया जा रहा है। कार्य प्रगति में है एवं कटाव निरोधक कार्य को दिनांक–15.05.2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। उक्त कार्य के पश्चात प्रश्नगत गाँव और सुरक्षित हो जायेंगे।	

P.T.O.

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(गो0)–12–09 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 182वें सत्र के उनके ज्ञापांक–267(6) दिनांक–17.11.2016 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–आई0आर0–16 से उदभूत आश्वासन सं0–04 / 182 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(गो0)–12–09 / 2026– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(गो0)–12–09 / 2026– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(गो0)–12–09 / 2026– 4442 पटना, दिनांक– 06/10/2026
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06.10.26
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव
06/10/26